न्यायालय कलेक्टर (शेखर वर्मा) जिला अलीराजपुर (म.प्र)

प्रकरण कमांक 28 / बी–121 / 2014–15

:: आदेश ::

(आज दिनांक 8 / 05 / 2015 को पारित किया गया)

प्रकरण तहसीलदार जोबट का होकर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट के माध्यम से प्राप्त हुआ प्रकरण का अवलोकन किया गया। पिडीत कृषक दुलेसिंह पिता अजेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सेवरिया पटवारी हल्का नम्बर 25 तह.जोबट के रहवासी कच्चा मकान दिनांक 1.4.2015 को रात्रि में अचानक आग लग जाने से पिड़ीत कृषक का कच्चा मकान पूर्ण रुप से जलकर नष्ट हो गया है । मकान के अन्दर दो बैल, एक गाय का बछडा,, कपड़े, बर्तन, तथा घरेलू सामग्री जलकर नष्ट हो गई है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार जोबट के प्रतिवेदन से सहमत होकर प्रकरण में **राजस्व पुस्तक परिपत्र 6–4 संशोधित प्रावधान अनुसार मकान में अचानक आग लगने पर पिडित व्यक्ति दुलेसिंह पिता अजेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सेवरिया निम्नानुसार आर्थिक सहायता स्वीकृत किये जाते है:–**

1–कच्चा मकान पूर्ण जलने पर –	20,000 / –
2–दौ बैल जलने पर (प्रति बैल 16500)	–33,000 / –
3–गाय का बछडा–	10,000 / –
4–कपडे,बर्तन,एवं घरेलु सामान–	05,000 / –
योग (अड़सठ हजार रुपये मात्र)	68,000 / –

उक्त व्यय मांग संख्या 58–लेखाशीर्ष 2245 प्राकृतिक आपदाओं के संबध में राहत 003–अग्नि पिडितो को राहत–आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगी।

अनुदान राशि पीड़ित व्यक्ति को तत्काल वितरित की जावें।

(शेखर वर्मा)
कलेक्टर
जिला अलीराजपुर

पृ0क / 409 / रीडर / 2015 अलीराजपुर दिनांक 8/5/2015

प्रतिलिपि:–

1. जिला कोषालय अधिकारी जिला अलीराजपुर ।
2. प्रभारी अधिकारी (राहत शाखा) जिला कार्यालय अलीराजपुर ।
3. प्रभारी अधिकारी (वित्त–2) जिला अलीराजपुर ।
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जोबट।
5. तहसीलदार तहसील जोबट ।
6. संबंधित दुलेसिंह पिता अजेसिंह जाति भीलाला निवासी ग्राम सेवरिया, तहसील जोबट की ओर सूचनार्थ ।

कलेक्टर
जिला अलीराजपुर